**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1574**
**दिनांक 11.02.2020/ 22 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रवेश परमिट**

**†1574. श्री तालारी रंगैय्याः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि देश के उत्तर-पूर्वी भाग में कुछ राज्यों में प्रवेश के लिए एक भारतीय नागरिक को भी अनुमति लेनी पड़ती है; और**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?**

उत्तर

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन, 1873 के अनुसार इनर लाइन परमिट (आईएलपी) एक ऐसा यात्रा दस्तावेज है जो कि चार राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में से किसी की यात्रा करने के लिए गैर-निवासियों के लिए जरूरी होता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् ही आईएलपी जारी किया जाता है, ताकि देश के अन्य भागों से राज्य की यात्रा करने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जा सके।

******